ऑन लाईन नं. RCMS 2024/39

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 07/2024

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री केशुराम निवासी वार्ड नम्बर 01, चक मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रभारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र चक मनफुलसिंहवाला 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा निगरानीकर्ता को विधि विरूद्व दिये गये नोटिस कमांक 83 दिनांक 23.02.2024 को निरस्त ाकिये जाने हेतू निगरानी धारा 92 एवं 97पंचायती राज अधिनियम।

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र कम्बोज अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह मिशन गैरनिगरानीकर्ता संख्या –3

:: आदेश ::

दिनांकः 05.03.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि :–

1. यह कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा गांव मनफुलसिंहवाला के निवासी है तथा निगरानीकर्ता वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है इसलिए निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।
2. यह कि आदेश/नोटिस अधीनस्थ न्यायलाय खिलाफ कानून तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्व किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता को दिये गये नोटिस की प्रति सलंग्न निगरानी है।
3. यह कि निगरानीकर्ता के पिता श्री केशुराम के पास वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है इस भूखण्ड के पूर्व व दक्षिण दिशा में गली लगती है तथा पश्चित दिशा में हनुमान मेघवाल का मकान है। वादी के पिता ने इस भूखण्ड पर मकान बना रखा था। निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता लगातार बिना किसी रूकावट के अपने परिवार सहित निवास

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

कर रहा है। निगरानीकर्ता के दो बच्चे भी निगरानीकर्ता के साथ निवास करते आ रहे है। निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय भी वर्ष 2016–17 की अवधि में बनाया गया था विद्युत कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से काफी अर्सा से चल रहा है तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन भी दिया गया, पानी का टेंक भी बना हुआ है। निगरानीकर्ता के परिवार की पुरानी वोटरलिस्ट भी इस स्थान की बनी हुई है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण लम्बी अवधि में इस अहाता पर निवास करते चले आ रहे है। विद्युत बिल, पानी कनेक्शन बिल के फोटोज मकान सलंग्न निगरानी है।

4. यह कि निगरानी के इस भूखण्ड साईज 45X45 वर्गफुट में पशु भी बांधे गये है । चारा कुतरने की मशीन भी लगी हुई है। कमरा , रसोई , लैण्टरिंग , बाथरूम बना हुआ है, बनछटीयां रखी हुई है। निगरानीकर्ता के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी इस भूखण्ड पर लगातार शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है।
5. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु मौके पर काबिज व्यक्ति को छोड़कर अन्य को विधि विरूद्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।
6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला से मिलिभगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा पशु चिकित्सालय के नाम से जारी करवा लिया है अब इस भूखण्ड पर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की कोशिश की जा रही है तथा निगरानीकर्ता व उसके परिवार को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जिसे कानूनन रोका जाना आवश्यक है।
7. यह कि निगरानीकर्ता अपने रिहायशी भूखण्ड होने के कारण उक्त भूखण्ड पर 70 वर्षो से काबिज होने व उक्त भूखण्ड की सुरक्षा करने का हक व अधिकार निगरानीकर्ता का है, जबकि गैरनिगरानीकर्ता जबरदस्ती धक्काशाही व जोर जबरदस्ती से उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते है तथा पशु चिकित्सालय बनाना चाहते है तथा निगरानीकर्ता को बेदखल करना चाहते है।
8. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.02.2024 को निगरानीकर्ता को नोटिस दिया कि वह जिस स्थान पर आपने पशुओं के रखरखाव हेतु अवैध कब्जा कर रखा है जिस स्थन पर राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, इसलिए इस जगह को आगामी दो दिन में खाली करने की कृपा करें यही वाद कारण है।
9. यह कि गैरनिगरानीकर्तागण उक्त भूखण्ड पर जबरदस्ती काबिज होकर पशु चिकित्सालय बनाने पर उतारू है जबकि उसे निगरानीकर्ता के कब्जाशुदा भूखण्ड पर गैरनिगरानीकर्तागण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्तागण ऐसा करने में कामयाब हो गया तो निगरानीकर्ता को नापूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, विवाद बढेंगें, गैरनिगरानीकर्ता का कृत्य गैरकानूनी है जिसे रोका जाना इंसाफन आवश्यक है जिसके लिए निगरानी के निस्तारण तक स्थगन आदेश के लिए अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए नोटिस विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
11. यह कि निगरानीकर्ता करीब 70 साल से काबिज चले आ रहे है इसलिए निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किया जाना चाहिये ना की बेदखल किया जाना चाहिये, परन्तु गैरनिगरानीकर्ता बेदखल करने पर उतारू है। गैरनिगरानीकर्ताओं को रोकने के लिए अलग से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
12. यह कि नियम 157 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा नियम 158 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार कमजोर वर्गो का आवंटन किया जा सकता है चूंकि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य है इसलिए निगरानीकर्तागण को फायदा दिया जाना आवश्यक है।
13. यह कि निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्व पेश की जा रही है। पंचायत समिति व जिला परषिद में ग्राम पंचायत का बोलबाला है ओर पंचायत समिति व जिला परिषद से निगरानीकर्ता को इन्साफ की कोई उम्मीद नहीं है ऐसी सूरत में निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।
14. यह कि निगरानी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा निगरानीकर्ता को नोटिस क्रमांक 83 दिनांक 23.02.2024 का दिया गया, इसलिए निगरानी अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत फकीरवाली के नोटिस क्रमांक 83 दिनांक 23.02.2024 को निरस्त किया जावें।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि:–

1. यह कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा गांव मनफुलसिंहवाला के निवासी है तथा निगरानीकर्ता वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है।
2. निगरानीकर्ता के पिता श्री केशुराम के पास वार्ड नम्बर 01 मनफूलसिंहवाला 18 एलएनपी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 45X45 वर्गफुट का भूखण्ड पिछले करीब 70 वर्षो से कब्जे में चला आ रहा है इस भूखण्ड के पूर्व व दक्षिण दिशा में गली लगती है तथा पश्चित दिशा में हनुमान मेघवाल का मकान है। वादी के पिता ने इस भूखण्ड पर मकान बना रखा था। निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद इस भूखण्ड पर निगरानीकर्ता लगातार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बिना किसी रूकावट के अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता के दो बच्चे भी निगरानीकर्ता के साथ निवास करते आ रहे है। निगरानीकर्ता के इस भूखण्ड में प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय भी वर्ष 2016–17 की अवधि में बनाया गया था विद्युत कनेक्शन भी निगरानीकर्ता के नाम से काफी अर्सा से चल रहा है तथा विलेज वाटर एण्ड सेनीटेशन संस्था ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला द्वारा स्वजल धारा के तहत दिनांक 27.05.2017 को पानी का कनेक्शन भी दिया गया, पानी का टेंक भी बना हुआ है। निगरानीकर्ता के परिवार की पुरानी वोटर लिस्ट भी इस स्थान की बनी हुई है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण लम्बी अवधि में इस अहाता पर निवास करते चले आ रहे है। विद्युत बिल, पानी कनेक्शन बिल के फोटोज मकान सलंग्न निगरानी है।

3. यह कि निगरानी के इस भूखण्ड साईज 45X45 वर्गफुट में पशु भी बांधे गये है । चारा कुतरने की मशीन भी लगी हुई है। कमरा , रसोई , लैण्टरिंग , बाथरूम बना हुआ है, बनछटीयां रखी हुई है। निगरानीकर्ता के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी इस भूखण्ड पर लगातार शान्ति पूर्वक काबिज चला आ रहा है।
4. यह कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु मौके पर काबिज व्यक्ति को छोड़कर अन्य को विधि विरूद्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।
5. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला से मिलिभगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा पशु चिकित्सालय के नाम से जारी करवा लिया है अब इस भूखण्ड पर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की कोशिश की जा रही है तथा निगरानीकर्ता व उसके परिवार को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जिसे कानूनन रोका जाना आवश्यक है।
6. यह कि निगरानीकर्ता अपने रिहायशी भूखण्ड होने के कारण उक्त भूखण्ड पर 70 वर्षो से काबिज होने व उक्त भूखण्ड की सुरक्षा करने का हक व अधिकार निगरानीकर्ता का है, जबकि गैरनिगरानीकर्ता जबरदस्ती धक्काशाही व जोर जबरदस्ती से उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते है तथा पशु चिकित्सालय बनाना चाहते है तथा निगरानीकर्ता को बेदखल करना चाहते है।
7. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.02.2024 को निगरानीकर्ता को नोटिस दिया कि वह जिस स्थान पर आपने पशुओं के रखरखाव हेतु अवैध कब्जा कर रखा है जिस स्थन पर राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, इसलिए इस जगह को आगामी दो दिन में खाली करने की कृपा करें । इससे साफ पता चला है कि निगरानीकर्ता मौके पर काबिज है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

8. यह कि गैरनिगरानीकर्तागण उक्त भूखण्ड पर जबरदस्ती काबिज होकर पशु चिकित्सालय बनाने पर उतारू है जबकि उसे निगरानीकर्ता के कब्जाशुदा भूखण्ड पर गैरनिगरानीकर्तागण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अगर गैरनिगरानीकर्तागण ऐसा करने में कामयाब हो गया तो निगरानीकर्ता को नापूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती।
9. यह कि नियम 157 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा नियम 158 राज0 पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार कमजोर वर्गो का आवंटन किया जा सकता है चूंकि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य है इसलिए निगरानीकर्तागण को फायदा दिया जाना आवश्यक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत फकीरवाली के नोटिस कमांक 83 दिनांक 23.02.2024 को निरस्त किया जावे तो श्रीमान की कृपा होगी।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या –3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत मनफुलसिंहवाला में आवासीय भूखण्ड साईज 40X50 कुल 2000 वर्गफुट का पट्टा राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मनफुलसिंहवाला गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.07.2022 की पालना में दिनांक 21.07.2022 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम जारी किया हुआ है में निगरानीकर्ता द्वारा अनाधिकृत रूप से लकडीयां रखे जाने एवं पशु बाधें जाने के कारण उनको वहां से हटाये जाने बाबत कार्यालय आदेश 83 दिनांक 23.02.2024 गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा खाली पड़ी भूमि पर अनाधिकृत रूप से लकडीयां डाली हुई थी जिसे उठवाने के लिए प्रभारी अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय मनफूलसिंहवाला द्वारा जरिये कार्यालय आदेश सूचित किया गया था ताकि अनाधिकृत विवाद पैदा ना हो। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी बिना आधार एवं बलहीन होने के कारण निरस्त फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी ग्राम पंचायत फकीरवाली के नोटिस कमांक 83 दिनांक 23.02.2024 के विरूद्व पेश की गई है जबकि ग्राम पंचायत फकीरवाली द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अंकित नोटिस कमांक 83 दिनांक 23.02.2024, प्रभारी अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, मनफूलसिंहवाला का कार्यालय आदेश है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने एवं बिना आधार के होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर